

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक: 1434/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/ईएस-6

दिनांक: 18.08.2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में अधोनामित आई०टी०आई० योग्यताधारी तकनीशियन ग्रेड-प्रथम/द्वितीय (विद्युत) को विभागीय पदोन्नति हेतु निर्धारित 40% कोटे के अन्तर्गत आई०टी०आई० योग्यताधारियों के लिए निर्धारित 31.33 प्रतिशत कोटे के तहत अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) (वेतनमान 44900-142400, लेवल-8) के पद पर चयनित/पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-8 में वर्णित नव तैनाती स्थान पर अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) का कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र० सं०	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं सेवावधि के अंकों तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्र०सं०	अनु क्रमांक	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	109	श्री कृपाल सिंह रावत, टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री रतन सिंह रावत	12.04.79	132 के०वी० उपकेन्द्र, भवाली	132 के०वी० उपकेन्द्र, रुद्रपुर
2	2	123	श्री खेम सिंह टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री चन्दन सिंह	14.06.79	132 के०वी० उपकेन्द्र, बाजपुर	400 के०वी० उपकेन्द्र, काशीपुर
3	3	124	श्री लक्ष्मण, टी०जी०-प्रथम (वि०)	स्व० श्री गंगा सिंह	20.01.76	132 के०वी० उपकेन्द्र, रामनगर	220 के०वी० उपकेन्द्र, महुवाखेडागंज
4	4	172	श्री पंकज ध्यानी टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री प्रेम लाल ध्यानी	04.01.75	220 के०वी० उपकेन्द्र हरिद्वार	132 के०वी० उपकेन्द्र, ऋषिकेश
5	5	182	श्री श्रवण कुमार टी०जी०-द्वितीय (वि०)	श्री भरत सिंह	01.11.74	132 के०वी० उपकेन्द्र ज्वालापुर	132 के०वी० उपकेन्द्र, पदार्था
6	6	178	श्री मशकूर आलम टी०जी०-द्वितीय (वि०)	श्री महबूब हसन	15.05.78	132 के०वी० उपकेन्द्र, मंगलौर	132 के०वी० उपकेन्द्र, भूपतवाला
7	7	208	श्री सुनील कुमार टी०जी०-द्वितीय (वि०)	श्री श्याम लाल	08.07.78	220 के०वी० उपकेन्द्र, ऋषिकेश	132 के०वी० उपकेन्द्र, ज्वालापुर
8	8	167	श्री आलोक कुमार टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री जयपाल सिंह	01.01.77	132 के०वी० उपकेन्द्र, ज्वालापुर	220 के०वी० उपकेन्द्र, ऋषिकेश
9	9	207	श्री सत्यपाल, टी०जी०-द्वितीय (वि०)	श्री रामबहोरी	20.08.75	220 के०वी० उपकेन्द्र ऋषिकेश	परियोजना, ज्वालापुर एवं बहादुराबाद

क्रमशः.....2

क्र० सं०	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं सेवावधि के अंकों तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्र०सं०	अनु क्रमांक	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती स्थान	नव तैनाती स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	10	211	श्री विनोद कुमार भट्ट टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री पी०आर० भट्ट	04.06.71	132 के०वी० उपकेन्द्र, ऋषिकेश	आर.वी.एन.एल., ऋषिकेश
11	11	171	श्री दीपक सैनी, टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री अमर नाथ	01.12.81	220 के०वी० उपकेन्द्र हरिद्वार	400 के०वी० उपकेन्द्र, ऋषिकेश
12	12	173	श्री पियूष कुमार तायल, टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री जगदीश प्रसाद तायल	03.02.72	132 के०वी० उपकेन्द्र, भूपतवाला	132 के०वी० उपकेन्द्र, चुड़ियाला
13	13	135	श्री संजय कुमार, टी०जी०-द्वितीय (वि०)	स्व० श्री किशोरी लाल	26.06.73	220 के०वी० उपकेन्द्र, महुवाखेड़ागंज	220 के०वी० उपकेन्द्र, पंतनगर
14	14	228	श्री राकेश कुमार वर्मा टी०जी०-प्रथम (वि०)	श्री राजित राम वर्मा	07.05.71	स्काडा खण्ड देहरादून	132 के०वी० जी०आई०एस० उपकेन्द्र, आराधर
15	15	232	श्री शैलेन्द्र सिंह टी०जी०-द्वितीय (वि०)	श्री मांगे सिंह	20.02.77	परी०एवंपरी० उपखण्ड, माजरा, देहरादून	220 के०वी० उपकेन्द्र, सेलाकुई

उपर्युक्त पदोन्नति के आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं कि:-

1. उपरोक्त पदधारकों की प्रश्नगत पद पर की गयी पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है तथा सम्बन्धित कार्मिक को बिना कोई कारण बताये अथवा किसी पूर्व सूचना/नोटिस के कभी भी उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत किया जा सकता है।
2. पदोन्नत पदधारियों पर अवर अभियन्ता की "The Uttar Pradesh State Electricity Board Subordinate Electrical and Mechanical Engineering Service Regulation, 1972" (यथासंशोधित) सेवाविनियमावली के प्राविधान प्रवृत्त होंगे।
3. यदि उपरोक्त पदधारियों के विरुद्ध जांच या अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो तो उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
4. यह आदेश निर्गमन के दिनांक अथवा उपर्युक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, दोनों में से जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।
5. सम्बन्धित पदोन्नत कार्मिक दिनांक 25.08.2026 तक पदोन्नत पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
6. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी पदोन्नत कार्मिक के द्वारा प्रोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना से दिनांक 26.08.2026 तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित कार्मिक निम्नलिखित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूपों पर तीन प्रतियों में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे, अधिशासी अभियन्ता का दायित्व होगा कि इनमें से दो प्रतियों को क्रमशः सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग, पिटकुल को प्रत्येक पृष्ठ को प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....3

घोषणा पत्र:-

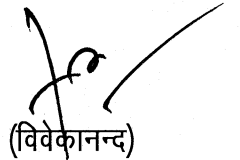
- (1) शादीशुदा होने की स्थिति में एक ही पत्नी के साथ जीवन-यापन करने की घोषणा। (घोषणा पत्र- क)
 - (2) कारपोरेशन में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने के सम्बन्ध में। (घोषणा पत्र- ख)
 - (3) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (घोषणा पत्र- ग)
 - (4) समस्त चल/अचल सम्पत्ति आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित गृह सम्पत्ति को सम्मिलित करने हुए। इस प्रकार का सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय। (घोषणा पत्र- घ)
 - (5) कारपोरेशन के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धी वचन पत्र में निर्धारित प्रपत्र पर। (घोषणा पत्र- ङ)
 - (6) राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा पत्र में निर्धारित प्रपत्र पर। (घोषणा पत्र- च)
 - (7) परिवार के सदस्यों/आश्रितों की सूची परिशिष्ट "च" में निर्धारित प्रपत्र पर। (घोषणा पत्र- ज)
8. उपर्युक्त पदधारक की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उनकी टी0जी0-प्रथम/द्वितीय (वि0/ला0) के पदों पर की गयी कुल सेवा अवधि के कुल अंको तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़कर तैयार की गयी संयुक्त श्रेष्ठता सूची की श्रेष्ठता क्रम में कारपोरेशन में प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत अलग से निर्धारित कर निर्गत की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त कार्मिक द्वारा कारपोरेशन के आवास/सम्पत्ति पर अनाधिकृत अध्यासन बनाया हो तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
10. पदोन्नत कार्मिक कारपोरेशन आदेश संख्या 1178/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा निर्गत सुनिश्चित वित्तीय स्तरान्वयन (ए0सी0पी0) हेतु विकल्प का चयन करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त पदोन्नति आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1434/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस-6 तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पिटकुल..... ।
3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल..... ।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आदेश को कारपोरेशन की बैवसाइट पर प्रदर्शित करें।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..... ।
6. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाईल।


(विवेकानन्द)

उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)